भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1624

13.02.2023 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र

1624. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी :
श्री गिरीश चन्द्र :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों और मानदंडों का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) देश में कितने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (पीडब्ल्यूएमसी) कार्यरत हैं;

(ग) क्या सरकार का और अधिक पीडब्ल्यूएमसी स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में कोई पीडब्ल्यूएमसी स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) यथासंशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में सांविधिक संरचना का प्रावधान किया गया है और अभिज्ञात की गई सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी हुए प्रतिबंध सहित नियमों के प्रवर्तन हेतु प्राधिकरणों को नियत किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया गया है कि वे फल और सब्जी बाजारों, थोक बाजारों, स्थानीय बाजारों, फूल विक्रेताओं, प्लास्टिक कैरी बैगों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों आदि को शामिल करते हुए, अभिज्ञात की गई सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं तथा एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैगों पर प्रतिबंध को लागू करने हेतु नियमित प्रवर्तन अभियान चलाएं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी निदेश दिया गया है कि वे प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आवाजाही को रोकने हेतु सीमा चौकियों पर यादृच्छिक जांच-पड़ताल करें। दिनांक 01 जुलाई से 31 जुलाई, 2022 तक अभिज्ञात सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध को लागू करने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर एक माह तक चलने वाला प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया था। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा अक्तूबर, नवम्बर और दिसंबर, 2022 माह में अखिल भारतीय स्तर पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं।

देश में अभिज्ञात सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध की प्रभावकारी निगरानी और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए, निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफार्म संचालित हैं : (क) व्यापक कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड, (ख) सिंगल यूज उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन संबंधी नियमों के अनुपालन के लिए सीपीसीबी का निगरानी मॉड्यूल और (ग) सीपीसीबी का शिकायत निवारण संबंधी ऐप।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों के तहत एकत्र किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर को लागू किए जाने योग्य दायित्व, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करेगा तथा औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के विकास हेतु सुविधा प्रदान करेगा।

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की कुल संख्या 1602 है। ईपीआर पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 47 पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता हैं, जिनमें से 35 प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं के रूप में पंजीकृत हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रान्ड मालिकों की कुल संख्या 5000 है, जिनके ईपीआर लक्ष्य 22.37 लाख टीपीए हैं। इसके अलावा, उपलब्ध सूचना के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत भी स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां सृजित की गई हैं।

****